



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2006

अग्रहायण 28, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1563/79-वि-1-01(क)44-2006
लखनऊ, 19 दिसम्बर, 2006

अधिसूचना
विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।

संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 5
सन् 1982 की धारा
5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की धारा 5 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द "छः वर्ष" रख दिये जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

"(6) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय पद धारण करने वाले प्रत्येक सदस्य के लिये भी लागू होंगे।"

उद्देश्य और कारण

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्यापकों के चयन के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना के लिए व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में व्यवस्था है कि बोर्ड का प्रत्येक सदस्य चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सदस्यों के साथ बोर्ड के सदस्यों की पदावधि में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि बोर्ड के सदस्यों की पदावधि को चार वर्ष से बढ़ाकर छः वर्ष करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1563/LXXIX-V-1-01 (Ka)44-2006

Dated Lucknow, December 19, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Chayan Board (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 40 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 18, 2006.

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES SELECTION
BOARD (SECOND AMENDMENT) ACT, 2006
(U.P. ACT NO. 40 OF 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

Further to amend the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Second Amendment) Act, 2006.

2. In section 5 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982,—

Amendment of
section 5 of U.P.
Act no. 5 of 1982

(a) in sub-section (1) for the words “four years” the words “six years” shall be substituted;

(b) after sub-section (5) the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(6) The provisions of sub-section (1) as amended by the Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Second Amendment) Act, 2006 shall apply also to every member holding office on the commencement of the said Act.”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board Act, 1982 has been enacted to provide for the establishment of the Secondary Education Services Selection Board for the selection of teachers in institutions recognized under the Intermediate Education Act, 1921. Sub-section (1) of section 5 of the said Act provides that every member of the Board shall hold office for a term of four years. With a view to maintaining uniformity in the term of the office of members of the Board with the members of the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission, it has been decided to amend the said Act to increase the term of office of members of the Board from four years to six years.

The Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (Second Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv.